

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग

संकल्प

विषय:-केन्द्रीय डिजाइन केन्द्र, राजेन्द्रनगर, पटना एवं पॉलिस्टर एवं वस्त्र प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र, बरारी, भागलपुर में वित्तीय वर्ष 2015-16 (अप्रैल 2015) से प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि ₹ 300/- प्रति माह से बढ़ाकर ₹ 800/- प्रति माह स्वीकृति के संबंध में।

हस्तकरघा बुनकरों को आधुनिक एवं बाजार माँग के अनुरूप वस्त्र तैयार करने हेतु बुनकरों को हस्तकरघा बुनाई, उत्कृष्ट वस्त्र बुनाई एवं डिजाइनिंग में छः छः माह का प्रशिक्षण निम्नांकित प्रशिक्षण केन्द्रों में दिया जाता है। जिसके लिए उक्त दोनो प्रशिक्षण केन्द्र गैर योजनात्मक योजना (स्थाई) अन्तर्गत कार्यरत है।

क्र०	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1.	केन्द्रीय डिजाइन केन्द्र, राजेन्द्रनगर, पटना	18
2.	पॉलिस्टर एवं वस्त्र प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र, बरारी, भागलपुर	12
कुल-		30

उक्त प्रशिक्षण केन्द्रों में छः छः माह में कुल 60 प्रशिक्षुओं को प्रति वर्ष प्रशिक्षण दिया जाता है। इन प्रशिक्षुओं को वर्तमान में ₹ 300/- (तीन सौ) प्रति माह के दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

वर्तमान समय में बाजार मूल्य में काफी वृद्धि हो जाने के कारण ₹ 300/- (तीन सौ) मात्र प्रतिमाह की छात्रवृत्ति में वे दैनिक व्यवहार की चीजों का प्रयोग करने में भी कठिनाई महसूस करते हैं। छात्रवृत्ति की दर ₹ 300/- (तीन सौ) मात्र रहने के कारण प्रशिक्षण में भागीदारिता कम रही है, जिससे सरकार के कौशल विकास के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है। अतएव महँगाई में वृद्धि को देखते हुए प्रशिक्षणार्थियों के छात्रवृत्ति में वृद्धि किया गया है।

2- राज्य सरकार के द्वारा सम्यक विचारोपरान्त केन्द्रीय डिजाइन केन्द्र, राजेन्द्रनगर, पटना एवं पॉलिस्टर एवं वस्त्र प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र, बरारी, भागलपुर में वित्तीय वर्ष 2015-16 (अप्रैल 2015) से प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि ₹ 300/- प्रति माह से बढ़ाकर ₹ 800/- प्रति माह स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3-प्रस्तावित राशि का व्यय गैर योजना मद से मुख्य शीर्ष-2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-103, हस्तकरघा उद्योग, माँग संख्या-23, उप शीर्ष 0001 हस्तकरघा विकास की योजना, विपत्र कोड- N-2851001030001 के अन्तर्गत विषय शीर्ष-3401, छात्रवृत्ति/वजीफा मद में उपबंधित राशि एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राशि का उपबंध करारकर विकलनीय होगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

संयुक्त सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

/पटना, दिनांक-

ज्ञापांक- ह०क०(13)गै०यो०(छात्रवृत्ति)-०१/२०१५-

प्रतिलिपि- उप सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

संयुक्त सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना/भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / -

संयुक्त सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

आप/९ 3215

आदि

07/08/2015

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार,पटना/निदेशक, ह०रे०, बिहार,पटना/ आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग/उप उद्योग निदेशक, योजना शाखा, उद्योग विभाग/ बजट शाखा, उद्योग निदेशालय/सहायक उद्योग निदेशक(रेशम), पटना प्रमण्डल, पटना/प्रबन्धक, पॉलिस्टर एवं वस्त्र प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र, बरारी, भागलपुर/प्रशाखा पदाधिकारी(हस्तकरघा सामान्य) शाखा, ह०रे०/आईटी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

संयुक्त सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

(७)  
कार्य शिखा  
महोदय -